

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प वी. गुजरान

139/2021

## आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का वापूगाव  
 व भूअ.नि. वृत्त कोट खाकडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोट खाकडा / नायब  
 तहसीलदार कोट खाकडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम स. जयसिंहपुरा तहसील कोट खाकडा व जिला जयपुर  
जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2026-27 में खाता संख्या 65  
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व  
 रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	स. जयसिंहपुरा	65	नारणी W/O भौरीलाल	नाराणी W/O भौरीलाल

क्रमांक:- जयपुर/21/3769

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील कोट खाकडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्री नाराणी W/O भौरीलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिवशोक अग्रवाल  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकसू जयपुर।

दि 14/12/21

शिवशोक अग्रवाल  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकसू जयपुर।